अन्तिम डिक्री व मुकद्मे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix ‘D’-1)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार, आर.ए.एस.

मेहर बानो बनाम **याकुब आदि**

दावा बाबत बंटवारा

दावा मुकदमा नं. 53 / 2017 **निर्णय दिनांक– 14.05.2018**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अनिल कुमार, आरएएस व हाजिरी .... रूबरू .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जा है कि वादी का वाद तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के आधार पर खसरा सं. 1058 रकबा 0.25 हैक्टेयर व खसरा सं. 1059 रकबा 5.00 हैक्टेयर वाके ग्राम मंगलूणा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से दी जाती है–

खातेदार का नाम	खसरा सं.	रकबा	किस्म
1. मेहर बानों पत्नी सफी मोहम्मद जाति कायमखानी सा. देह खातेदार	1059 मी.	0.15 हैक्टेयर	बा.1
2. याकूब खां हिदायत खां रकबा 0.7450 है. राहिन बी.आर.के.जी. बी. शाखा मंगलूणा मूर्तहीन रहीशा बानो पत्नी सबीर खां रकबा 0.11 है. ईस्लाम बानो पत्नी असगर खां रकबा 0.1686 है. सुगरा बानो पत्नी हनीफ खां रकबा 0.12 है. जुले खां पत्नी नबीशेर रकबा 0.12 है. अब्दुल गनी पुत्र हिदायत खां रकबा 0.8767 है. मकसूद पुत्र आलम अली खां रकबा 0.57 है. आयना बानो पत्नी भंवरू खां रकबा 0.23 है. जाति कायमखानी भूरी पत्नी पीथा जाति जाट रकबा 2.16 है. सा.देह खातेदार	1058 1059 मी.	0.25 हैक्टेयर 4.85 हैक्टेयर	गै.मु.रास्ता
	किता 2	5.10 हैक्टेयर	–

तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में प्रदर्शित अलग–अलग खसरान को अलग–अलग हिस्से अनुसार बट्टा नम्बर कायम की कार्यवाही की जाकर उपरोक्तानुसार अलग–अलग लगान कायम कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात किये जाने के आदेश दिये जाते है। रहन यथावत रहेगा। अतः उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात हेतु तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को तहरीर जारी हो।

बीज ....मुबलिग .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमें के मय शूद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख में वसूलयाबी तक ....को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14.05.2018 को केम्प मंगलूणा में जारी की गई।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प– मंगलूणा

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2. अर्जी के लिए स्टाम्प 3. प्लीडर की फीस 4. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 5. आदेशिका की तामिल 6. कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प– मंगलूणा

14.05.2018	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत– न्याय आपके द्वार– 2018 के तहत आयोजित कैम्प मंगलूणा में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। सम्पूर्ण पत्रावली आदि का अवलोकन किया। प्रकरण विभाजन को होने से तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का भी गहनता से अवलोकन किया गया। उपरोक्त अवलोकन के उपरांन्त जाहिर होता है कि पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा व उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ के पत्रांक/95 दिनांक 14.05.2018 के द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा मुताबिक वाद अनुरूप है, सही प्रतीत होता है। प्रस्ताव न्यायालय के प्राथमिक डिक्री व रिकार्ड के अनुसार ही होना प्रकट होता है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाता है। अतः प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर खसरा सं. 1058 रकबा 0.25 हैक्टेयर व खसरा सं. 1059 रकबा 5.00 हैक्टेयर वाके ग्राम मंगलूणा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में निम्नानुसार विभाजन किया जाकर पृथक–पृथक खातेदारी में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है–	

खातेदार का नाम	खसरा सं.	रकबा
1. मेहर बानों पत्नी सफी मोहम्मद जाति कायमखानी सा. देह खातेदार	1059 मी.	0.15 हैक्टेयर
2. याकूब खां हिदायत खां रकबा 0.7450 है. राहिन बी.आर.के.जी.बी. शाखा मंगलूणा मूर्तहीन रहीशा बानो पत्नी सबीर खां रकबा 0.11 है. ईस्लाम बानो पत्नी असगर खां रकबा 0.1686 है. सुगरा बानो पत्नी हनीफ खां रकबा 0.12 है. जुले खां पत्नी नबीशेर रकबा 0.12 है. अब्दुल गनी पुत्र हिदायत खां रकबा 0.8767 है. मकसूद पुत्र आलम अली खां रकबा 0.57 है. आयना बानो पत्नी भंवरू खां रकबा 0.23 है. जाति कायमखानी भूरी पत्नी पीथा जाति जाट रकबा 2.16 है. सा. देह खातेदार	1058 1059 मी.	0.25 हैक्टेयर 4.85 हैक्टेयर
	किता 2	5.10 हैक्टेयर

तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में प्रदर्शित अलग–अलग खसरान को अलग–अलग हिस्से अनुसार बट्टा नम्बर कायम की कार्यवाही की जाकर उपरोक्तानुसार अलग–अलग लगान कायम कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात किये जाने के आदेश दिये जाते है। रहन यथावत रहेगा। अतः उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात हेतु तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हाकर बाद तरमीम तकमील दाखिल दफ्तर अभिलेखागार हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प– मंगलूणा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official